(Seniority, Promotion and Superannuation of Officers) Amendment Rules, 1998.

(ii) GSR 274(E), dated May 27, 1998 publishing the Border Security Force Chief Law Officer and Law Officers (Amendment) Rules, 1998.

(iii) GSR 275(E), dated May 27, 1998 publishing the Border Security Force (Medical Officers Cadre) Amendment Rules, 1998. [Placed in Library. for (i) to (iii) *see* No. LT 1039/98]

II. A copy (in English and Hindi) of the Twenty-eights Annual Assessment Report on the programme and its implementation for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union, for the year 1996-97. [Placed in Library, *See* No. LT 1043/98]

I. Report and Accounts (1996-97) of the Wool and Wollens Export Promotion Council, New Delhi and related papers.

II. Report and Accounts (1996-97) of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

I (a) Thirty-second Annual Report and Accounts of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 1996-97, together with the Auditors Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library, *See* No. LT 967/98]

II. (a) Annual Report and Accounts of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library, *See* No. LT 1108/98]

MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGE

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि: "राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा श्री विष्णु कान्त शास्त्री, श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी और श्री राम देव भंडारी के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों को राजभाषा समिति का सदस्य होने के लिए *समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति* के *अनुसार* एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करने की कार्यवाही करें।"

The question was put and the motion was adopted.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT—(CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Dr. M.M. Joshi.

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी): सभापति जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबंध में इस सदन ने कल बहुत महत्वपूर्ण चर्चा समाप्त की है। मैं आभारी हूं उन सभी विद्वान, प्रबुद्ध सदस्यों का जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया, बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिए और बहुत से प्रश्न चर्चा के बीच में मंत्रालय के विचारार्थ भी प्रस्तुत किए हैं। एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा था कि यह विभाग, यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है परंतु इसकी उपेक्षा भी बहुत हुई है। मैं इससे सहमत हूं। जितना महत्व, जितना ध्यान इस मंत्रालय की तरफ दिया जाना चाहिए था, वह आज तक, अभी तक नहीं दिया जा सका है। जो संसाधन इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे, वे संसाधन इस मंत्रालय को उपलब्ध नहीं कराए गए। मैं इस बारे में सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बारे में कोई राष्ट्रीय आम सहमति बना सकते हैं या नहीं कि शिक्षा को, मानव संसाधन विकास को हम अपने नियोजन में और अपने आर्थिक कार्यक्रमों में कितना